

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपरोक्त अधिकारी मुकाम नीमरावा
शेरगिरे बनाम अनुराग
घा ०५२ २१२ नं० ११० सन् २०२५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
------------------------------------	--

२५.५.२५ आज यह घा ०५२ घा २१२
र.न.४ के अन्तर्गत मूल बांध के साथ बैरा
किया। रिपोर्ट शरिस्ते हो चुकी है। दर्ज
रजिस्टर है। घा ०५२ के वकील उपरो
घा ०५२ वकील की एक पक्षीय बहस
सुनी गई। दस्तावेजों का अवलोकन
किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण घा ०५२
के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन
अधोपक्ष प्रति भी घा ०५२ के पक्ष में होना
प्रति होता है। अतः आगामी तारीख वैशी
तक अघा ०५२ को अस्थाई निषेधाज्ञा
पन्देरा से पारन्ध किया जाता है, कि
वे विवादित आसली खसरा नम्बर होल
५६५, ५६६ वाले खसरा नीमरावा
जिला-कोटपूतली-नदरोड के मौका एवं
रिकॉर्ड की रखाइयों बनाये रखे, सप्त
संबंध में जो उज है। माप स्वयं घा

तारीख हुक्म

जो रिश्ते अधिकतम हाजिर अथवा त आकर
 आपना जतान वेरा करे। अथवा ही जज जो रिश्ते
 रजिस्टर्ड नो रिश्ते से तलन हो, हाजी यदि
 आगामी तिथि से पूर्व रजिस्टर्ड तलवाना
 वेरा करके में लिखा रहता है। तो हुक्म
 अथवा स्वतः अथवा ही माना जावेगा,
 पतावली वास्तु तलनी दिनांक 19.6.24
 को वेरा हो।

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोरपूतली-बहरोड़)

19.6.24 आज यह पतावली मूल वाद के
 प्राथम वेरा डरी पतावली में मूल वाद अथवा
 पतावली व अथवा हाजरी में खारिज हो चुका
 है। अतः आगामी भी अथवा पतावली व
 अथवा हाजरी में खारिज किए जाते हैं।
 पतावली के तलन अथवा हाजरी व अथवा
 कर्म हो। वाद पूर्ण तलन मूल वाद
 रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोरपूतली-बहरोड़)